© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 08 , Issue : 04 | October - December 2022

ग्रामीण मध्यप्रदेश में शैक्षणिक विकास एवं योजनाओं का क्रियान्वयन

डॉ राजेश कुमार सक्सेना
प्राध्यापक समाजशास्त्र
विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय मुरार, ग्वालियर (म0प्र0)

शोध सारांश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर केन्द्रित है। शासन द्वारा केवल योजना एवं कार्यक्रम बनाने से विकास नहीं होता है, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके सही क्रियान्वयन से ही विकास की वास्तविक झलक मिलती है। शिक्षा एक ऐसा प्रकाश पूंज है, जो संपूर्ण समाज को प्रकाशित करने में सक्षम है। शिक्षा के बिना मानव विकास की कल्पना बेमानी है। किसी भी देश प्रदेश एवं समाज की पहचान शिक्षा से ही होती है। अतः मध्यप्रदेश शासन द्वारा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे प्रयास तभी सार्थक हो सकते हैं, जबकि पात्र लोगों तक उसका लाभ पहुंचे।

संकेत शब्द (Key Words) : ग्रामीण, शैक्षणिक, विकास, योजना, क्रियान्वयन

शिक्षा ऐसे नागरिकों का निर्माण करती है, जो समाज अथवा राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकें। शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकारते हुए अरस्तु ने कहा था कि किसी भी देश का भाग्य उसके युवाओं की शिक्षा पर निर्भर करता है। इसी संदर्भ में प्रो. गुन्नार मिडेल का मानना है कि "बहुत बड़ी जनसंख्या को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात, मुझे निरर्थक प्रतीत होती है।"[1] राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को बुद्धि के विकास और समाज के पुनर्गठन के लिए आधारभूत साधन माना। पं. जवाहर लाल नेहरू ने भी ठीक ही कहा था कि राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, किंतु शिक्षा का स्थान इन सबसे ऊपर है।[2] भारतीय स्वाधीनता उपरांत ग्रामीण संरचना में शिक्षा के माध्यम से आमूलचूल परिवर्तन आया है। ग्रामीण सामाजिक संरचना के अंतर्गत जाति का परम्परागत प्रभाव कम हुआ है तथा उनके सोचने और समझने में परिवर्तन आया है।[3] यद्यपि ग्रामीणों की प्रमुख समस्या है गरीबी। गरीबी ही शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि जो आदमी दो जून की रोटी भी न जुटा पाता हो उससे आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वह अपने बच्चों की शिक्षा पर व्यय करें। अतः समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने अनेक ऐसी योजनाएँ बनाई जिनसे ग्रामीणों को रोजगार तथा बच्चों को मुफ्त भोजन व शिक्षा प्राप्त हो।[4]

शैक्षणिक विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम :

सर्व शिक्षा अभियान : प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है एवं इसका मुख्य उददेश्य गणात्मक एवं सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराना है प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं :

(1) सरकार द्वारा प्रत्येक बजट में एक किलोमीटर के क्षेत्र में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना साथ ही तीन किलोमीटर के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। (2) 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाना। (3) शालाओं में दर्ज बच्चों की नियमितता सुनिश्चित करना। (4) शालाओं में दर्ज बच्चों की गुणात्मक शिक्षा को सुनिश्चित करना। (5) बच्चों की शाला त्यागी दर को कम करना।

मध्यप्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पालक शिक्षक संघों का गठन किया गया है, जिससे शालाओं में शत–प्रतिशत् नामांकन, नियमित उपस्थिति तथा समाज के उपेक्षित वर्ग के बच्चों की शिक्षा को भी बढ़ावा मिला है।

निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश योजना :

मध्यप्रदेश में शासकीय प्राथमिक शालाओं में दर्ज एवं माध्यमिक शालाओं में 6 से 8 में दर्ज अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के.बालक–बालिकाओं हेतु तथा निःशक्त बच्चों, सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे के सभी बालक एवं बालिका हेतु निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एंव गणवेश प्रदाय किया जाता है। उच्चस्तर कक्षाओं 10 से 12 तक की शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल की संख्या तथा शालाओं में उन्नयन की ओर शासन विशेष रूप से प्रयासरत है।

बुक बैंक योजना :

शासकीय हाई एवं हायर सेकेन्डरी स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की छात्र–छात्राओं को अध्ययन हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत प्रदाय की जा रही है। सत्रांत के बाद इन पुस्तकों को वापस ले लिया जाता है, जिससे अनेक वर्षों तक इनका उपयोग इस योजना में किया जाता है।

अधोसंरचना विकास :

मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। साथ ही हायर सेकेन्डरी स्कूल के भवन निर्माण हेतु भी आवश्यकतानुसार प्रावधान किया जा रहा है।

निःशुल्क साइकिल वितरण योजना :

यह योजना वर्ष 2004 से प्रारम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी छात्राओं को आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस

© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS
Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 08 , Issue : 04 | October - December 2022

योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को जो अपने गांव से दूसरे गांव के शासकीय स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश लेती हैं उन्हें निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। वर्ष 2009 से इसका विस्तार करते हुए सभी प्रवर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना का लाभ दिया जाने लगा है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत ऐसी बालिकाओं को भी निःशुल्क साइकिल प्रदाय की जाती है जिनके गाँव में माध्यमिक शाला नहीं है और जो किसी अन्य गाँव में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला में प्रवेश लेती हैं। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 तक 16 से अधिक बालिकाएँ लाभान्वित हो चुकी हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना :

मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं तथा पंजीकृत मदरसों में किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य छात्रों की दर्ज संख्या में वृद्धि एवं उपस्थिति में निरन्तरता के स्तर में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन शाला स्तर पर महिला स्व–स्हायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें सामग्री की शुद्धता व गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के पौष्टिक एवं रूचि कर भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत गेंहू प्रचलन क्षेत्रों में विद्यार्थियों को दाल और सब्जी के साथ रोटी दी जा रही है, वहीं चावल प्रचलन क्षेत्रों में दाल और सब्जी के साथ–चावल प्रदाय किया जाता है।

मध्यप्रदेश में वर्ष 2008–19 तक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक शालाओं में कुल 87 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभांवित किया जा चुका है भोजन पकाने पर आने वाली लागत हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों के तहत 23192. 38 लाख रूपये तथा राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय संसाधनों के तहत 7517.72 लाख रूपये इस प्रकार कुल 30,710. 10लाख रूपये उपलब्ध थे, जिसके विरूद्ध 21,243.71 लाख रूपये का व्यय किया गया है। इस प्रकार उपलब्ध राशि में से 69.19 प्रतिशत राशि ही व्यय हई। माध्यमिक शालाओं में कुल 21.08 लाख विद्यार्थी दिसम्बर 2018 तक मध्यान्ह भोजन से लाभान्वित हुए। जिसमें भोजन पकाने की आने वाली लागत हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाल वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत 9694.58 लाख रूपये तथ राज्य शासन द्वारा प्रदत्त वित्तीय संसाधनों के तहत 1796.44 लाख रूपये तथा इस प्रकार कुल रूपये 11,491.02 लाख रूपये उपलब्ध थे। जिसके विरूद्ध 7532.75 लाख रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार उपलब्ध राशि में से 65.55 प्रतिशत राशि ही व्यय की गई। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के कुल आवंटन 210671.07 मी. टन के विरूद्ध 16515.96 मी.टन खाद्यान्न का

उठाव किया गया था। इस प्रकार खाद्यान्न के प्राप्त आवंटन में से के 78.39 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव योजनान्तर्गत किया गया।

गाँव की बेटी योजना :

यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को प्रति वर्ष 500 रूपए प्रति माह की दर से दस माह तक कुल 5 हजार रूपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। वर्ष 2018–19 तक इस योजना से 90 हजार से अधिक छात्राएँ लाभान्वित हो चुकी हैं।

निष्कर्ष :

वास्तव में किसी भी देश के विकास व समृद्धि में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक विकास हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित हैं। इनके माध्यम से प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा शासन की इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों से अधिकांश विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। शासन की योजनाएँ अपने सौ फीसदी लक्ष्य को तभी हासिल कर सकती हैं जबकि इनका सही कियान्वयन हो। योजनाएँ जिन विद्यार्थियों को केन्द्रित करके बनायी गई हैं, यदि उनमें से एक भी विद्यार्थी वंचित रहता है तो इसे पूर्ण सफलता नहीं माना जा सकता है। मध्यप्रदेश की समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों से ऑनलाईन प्रवेश के समय ही उसकी छात्रवृत्ति या अन्य हितकारी योजना से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किये जाना चाहिए तथा संस्था द्वारा ही उन विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर छात्रवृत्ति या अन्य हितकारी योजना के लिए उनका नाम अनुशंसित किया जाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी लाभ से वंचित न रहे। शासन की यदि नीति सही हैं तो विद्यार्थियों को समय और पैसे की बर्बादी से बचाया जा सकता है। **सन्दर्भः**

1. अखिलेश एस. (2010), भारत में ग्रामीण विकास, गायत्री पब्लिकेशन रीवा।
2. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम (2018), महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, जबलपुर।
3. पाण्डेय पी. एन, (2006), ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।
4. वशिष्ट बी. के. (2008), लोक अर्थशास्त्र, इंडस वैली पब्लिकेशन्स जयपुर